बिहार सरकार

परिवहन विभाग

आवंटन क्रमांक–
10/2025–26

सं0सं0–03/प्र0–आवंटन (MMGPY)–14–05/2024 06

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

पटना, दिनांक– 02/02/2026

विषय– विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0– 34, दिनांक– 02/02/26 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के लिए स्वीकृत कुल 41,00,000/– (एक्तालीस लाख रू0 मात्र) की राशि के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0– 34, दिनांक– 02/02/2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के लिए स्वीकृत कुल 41,00,000/– (एक्तालीस लाख रू0 मात्र) की राशि जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को आवंटित की जाती है।

2. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना में मांग संख्या–47 से निम्न प्रकार की जायेगी:–

क्र.	योजना शीर्ष	जिला का नाम	राशि
1	मुख्यशीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–199–अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता–उपशीर्ष– 0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, विपत्र कोड–47–3055001990101 विषय शीर्ष–0101.33.01 सब्सिडी	सारण, छपरा	30,00,000/–
2	मुख्यशीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष– 0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, विपत्र कोड–47–3055007890101 विषय शीर्ष–0101.33.01 सब्सिडी		6,00,000/–
3	मुख्यशीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप–मुख्य शीर्ष –00 लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–उपशीर्ष–0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, विपत्र कोड–47–3055007960101 विषय शीर्ष–0101.33.01 सब्सिडी		5,00,000/–
	कुल –		**41,00,000/–**

3. जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा उक्त राशि का उपावंटन प्रखंड विकास पदाधिकारियों को किया जायेगा, जो आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– 34, दिनांक–02/02/26 में निहित अनुदेशों के अनुरूप करेंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा लगातार व्यय का अनुश्रवण किया जायेगा।
4. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0–एम–4–05/98–2561 वि (2), दिनांक–17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक मे निर्गत किया जाता है।
5. लाभुकों को आवंटित राशि का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा बिहार गजट संख्या–823, दिनांक–05.09.2018 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–6297, दिनांक–08.08.2019 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–6480, दिनांक–09.09.2020 तथा विभागीय अधिसूचना संख्या–2740, दिनांक–11.05.2021 के

आलोक में पूरी छान–बीन एवं आवश्यक जाँच के बाद ही किया जायगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जायगा कि कोई भी छद्मपूर्ण या अनियमित भुगतान नहीं हो। अनुदान की राशि लाभुक के खाते में अंतरित करने के पूर्व चयनित लाभुक से वाहन का निबंधन पुस्त, बीमा से संबंधित कागजात एवं विक्रय पत्र प्राप्त किये जायेंगे। इस संबंध में निर्गत विभागीय पत्रों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

यदि वाहन खरीदने हेतु किसी वित्त पोषण संस्था से ऋण लिया गया हो तो विभागीय अधिसूचना संख्या–6297, दिनांक–08.08.2019 के आलोक में लाभुक से वित्त पोषण संस्थान को राशि अंतरण हेतु लाभुक द्वारा हस्ताक्षरित RTGS TRANSFER प्रपत्र प्राप्त किया जाएगा। साथ ही लाभुक से इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा कि सरकार से लाभुक को प्राप्त अनुदान की राशि को लाभुक के बैंक खाते से ऋण देने वाले वित्तीय संस्थान के बैंक खाते में सीधे अंतरित करने का अधिकार संबंधित बैंक को होगा। इस संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या–6297, दिनांक–08.08.2019 को पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

6. राशि का उपावंटन प्रखंडों को समानुपातिक रूप से नहीं किया जायेगा बल्कि वाहन क्रय की संख्या के आधार पर राशि प्रखंडों को उपावंटित की जायेगी।
7. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों केआलोक में की जायगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर हो एवं विपत्र कोड तथा मांग सं0 अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. **यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राशि का व्यय नियमानुसार हो। कोषागार से उतनी ही राशि की निकासी की जाएगी जितनी तुरंत भुगतान हेतु आवश्यक हो। राशि की अग्रिम निकासी कर बैंक खातों/पी0 एल0 खातों में नहीं रखी जाएगी।**
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

02/02/2026
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 06 पटना, दिनांक– 02/02/2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार/संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/02/2026
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 06 पटना, दिनांक– 02/02/2026

प्रतिलिपिः–आई टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को इस निदेश के साथ प्रेषित कि सामग्री को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय तथा इस सभी संबंधितों को ई–मेल किया जाय।

02/02/2026
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

D:RK//2025-26/Allotment44

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आवंटन क्रमांक–
10 / 2025–26

सं0सं0–03 / प्र0–आवंटन (MMGPY)–14–05 / 2024 06

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

पटना, दिनांक– 02/02/2026

विषय– विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0– 34, दिनांक–02/02/26 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के लिए स्वीकृत कुल 41,00,000 / – (एक्तालीस लाख रू0 मात्र) की राशि के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0– 34, दिनांक– 02/02/2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के लिए स्वीकृत कुल 41,00,000 / – (एक्तालीस लाख रू0 मात्र) की राशि जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को आवंटित की जाती है।

2. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना में मांग संख्या–47 से निम्न प्रकार की जायेगी:–

क्र.	योजना शीर्ष	जिला का नाम	राशि
1	मुख्यशीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–199–अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता–उपशीर्ष– 0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, विपत्र कोड–47–3055001990101 विषय शीर्ष–0101.33.01 सब्सिडी	सारण, छपरा	30,00,000 / –
2	मुख्यशीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना––उपशीर्ष– 0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, विपत्र कोड–47–3055007890101 विषय शीर्ष–0101.33.01 सब्सिडी		6,00,000 / –
3	मुख्यशीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप–मुख्य शीर्ष –00 लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–उपशीर्ष–0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, विपत्र कोड–47–3055007960101 विषय शीर्ष–0101.33.01 सब्सिडी		5,00,000 / –
	कुल –		**41,00,000 / –**

3. जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा उक्त राशि का उपावंटन प्रखंड विकास पदाधिकारियों को किया जायेगा, जो आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– 34, दिनांक–02/02/26 में निहित अनुदेशों के अनुरूप करेंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा लगातार व्यय का अनुश्रवण किया जायेगा।
4. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0–एम–4–05 / 98–2561 वि (2), दिनांक–17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक मे निर्गत किया जाता है।
5. लाभुकों को आवंटित राशि का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा बिहार गजट संख्या–823, दिनांक–05.09.2018 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–6297, दिनांक–08.08.2019 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–6480, दिनांक–09.09.2020 तथा विभागीय अधिसूचना संख्या–2740, दिनांक–11.05.2021 के

आलोक में पूरी छान–बीन एवं आवश्यक जाँच के बाद ही किया जायगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जायगा कि कोई भी छद्मपूर्ण या अनियमित भुगतान नहीं हो। अनुदान की राशि लाभुक के खाते में अंतरित करने के पूर्व चयनित लाभुक से वाहन का निबंधन पुस्त, बीमा से संबंधित कागजात एवं विक्रय पत्र प्राप्त किये जायेंगे। इस संबंध में निर्गत विभागीय पत्रों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

यदि वाहन खरीदने हेतु किसी वित्त पोषण संस्था से ऋण लिया गया हो तो विभागीय अधिसूचना संख्या–6297, दिनांक–08.08.2019 के आलोक में लाभुक से वित्त पोषण संस्थान को राशि अंतरण हेतु लाभुक द्वारा हस्ताक्षरित RTGS TRANSFER प्रपत्र प्राप्त किया जाएगा। साथ ही लाभुक से इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा कि सरकार से लाभुक को प्राप्त अनुदान की राशि को लाभुक के बैंक खाते से ऋण देने वाले वित्तीय संस्थान के बैंक खाते में सीधे अंतरित करने का अधिकार संबंधित बैंक को होगा। इस संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या–6297, दिनांक–08.08.2019 को पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

6. राशि का उपावंटन प्रखंडों को समानुपातिक रूप से नहीं किया जायेगा बल्कि वाहन क्रय की संख्या के आधार पर राशि प्रखंडों को उपावंटित की जायेगी।
7. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों केआलोक में की जायगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर हो एवं विपत्र कोड तथा मांग सं0 अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. **यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राशि का व्यय नियमानुसार हो। कोषागार से उतनी ही राशि की निकासी की जाएगी जितनी तुरंत भुगतान हेतु आवश्यक हो। राशि की अग्रिम निकासी कर बैंक खातों/पी0 एल0 खातों में नहीं रखी जाएगी।**
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

04/02/2026
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 06
पटना, दिनांक– 02/02/2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार/संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/02/2026
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 06
पटना, दिनांक– 02/02/2026

प्रतिलिपिः–आई टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को इस निदेश के साथ प्रेषित कि सामग्री को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय तथा इस सभी संबंधितों को ई–मेल किया जाय।

04/02/2026
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

D:RK//2025-26/Allotment44